राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	213/2018 रामजीलाल बनाम कैलाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/05/2026 को पेश हो।	
04/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। सक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि भूमि ख.नं. 76/4 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा ग्राम किशनपुरा तह. बस्सी के संबंध में पेश किया है जिसमें अंकित है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण कदीम से अपने बुजुर्गो के समय से बहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे है. एवं लगान जमा कराते चले आ रहे है। वादग्रस्त ख.नं. 76/4 के साबिक ख.न. 136, 137/1, 137/2 थे। उक्त नम्बरान को वादीगण के बुजुर्गान बहैसियत खातेदार काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन वरवक्त बन्दोबस्त संवत 2015 में उक्त ख.नं. पर छीतर पुत्र मंगला का नाम बतौर राहिन एवं वादीगण के पिता महादेव का नाम बतौर मूर्तहीन गलत रुप से दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि वादी के पिता महादेव के यहां कभी रहन नहीं थी, राहिन मूर्तहीन का इन्द्राज सर्वथा गलत अंकित किया गया है। आराजी वादग्रस्त से प्रतिवादी सं. 1 व उनके पिता छीतर का कोई संबंध नही रहा है न ही वे उक्त भूमि के कभी खातेदार काश्तकार रहे न उनका कभी कब्जा ही रहा है। प्रतिवादी ग्राम किशनपुरा के निवासी भी नही है। स्वयं छीतर ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक वाद बाबत बेदखली उप जिलाधिकारी जयपुर के यहां वादी के दादा महादेव के खिलाफ किया था, जिस वाद को न्यायालय ने छीतर का कोई अधिकार न मानते हए दिनांक 25. 02.1969 को खारिज हो गया एवं कब्जा खातेदारी मिन वादी के बुजुर्गो की ही मानी गयी। प्रतिवादी नानगराम का छीतर पुत्र मंगला से कोई संबंध कभी नहीं रहा। लेकिन नानगराम ने गलत रुप से छीतर का दत्तक पुत्र बनते हुए नामान्तरकरण अपने नाम से दिनांक 16.07.1976 को खुलवा लिया। जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार नही था। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा डिकी फरमाया जाकर वादी को दावे के मद नं. 1 में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में रहन मुर्तहीन के इन्द्राज को हटाकर दुरुस्त किया जावे। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत निषेधाज्ञा डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को वादी की दावे के मद नं. 1 में वर्णित कब्जे व खातेदारी की भूमि से प्रतिबन्धित किया जावे कि वे वादी के कब्जे व काश्त में किस प्रकार दखल न देवें।	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामजीलाल बनाम कैलाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	213/2018	

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जवाब वाद पेश किया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 20/02/2018 पारित करते हुये वादीगण का वाद पोषणीय नही होने वे आधार पर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायाल. द्वारा तनकीवार साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत रूप से परिक्षण/विवेचन करते हुये वादी का वाद पोषणीय नही होना धारित कर ख़ारिज किये जाने में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित नही की गयी है | विचाराधीन वाद में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वादी/अपीलार्थी अपने वाद के तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं इस अपील के माध्यम से साबित करने में असफल रहे है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20/02/2018 यथावत रखे जाते है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |